419

मध्यप्रदेश विधान सभा

नवम्बर, 1997 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 21 नवम्बर, 1997 (कार्तिक 30, 1919)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथक्तः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, सामान्य प्रशासन मंत्री, कम्पनीज़ एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम मर्यादित, भोपाल का दसवाँ वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा दिनांक 31 मार्च, 1997 को समाप्त वर्ष के लिए पटल पर रखेंगे.

(2) श्री बी. आर. यादव, कृषि मंत्री, जवाहरलाल नेहरु कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1963 (क्रमांक 12 सन् 1963) की धारा 40 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार जवाहरलाल नेहरु कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर की वैधानिक आडिट रिपोर्ट वर्ष 1995-96 (संचालक, स्थानीय निधि सम्परीक्षा द्वारा प्रेषित प्रमुख आपत्तियाँ, स्पष्टीकरण हेतु उत्तर एवं प्रमंडल की टिप्पणियां) पटल पर रखेंगे.

(3) श्री जसवंत सिंह, वाणिज्यिक कर मंत्री, मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 80 की उपधारा (5) की अपेक्षानुसार वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक ए-3-12-95-विक-पांच-(97) दिनांक 7 नवम्बर, 1997 पटल पर रखेंगे.

(4) श्री कान्तिलाल भूरिया, आदिम जाति कल्याण मंत्री, मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1983 (क्रमांक 31 सन् 1983) की धारा 15 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग आयोग का तृतीय प्रतिवेदन, चतुर्थ प्रतिवेदन एवं पांचवां प्रतिवेदन क्रमशः वर्ष 1986-87, 1987-88 एवं 1988-89 तथा प्रतिवेदन की अनुशंसाओं पर टीप क्रमशः वर्ष 1986-87, 1987-88 एवं 1988-89 पटल पर रखेंगे.

(5) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति, ऊर्जा मंत्री, विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 69 की उपधारा 5 (ए) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश विद्युत मंडल के लेखों का वार्षिक विवरण वर्ष 1994-95 पटल पर रखेंगे.

(6) श्री सत्यनारायण शर्मा, राज्य मंत्री खनिज साधन, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1991 (क्रमांक 23 सन् 1991) की धारा 17 की अपेक्षानुसार -

(क) बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल का 25 वां वार्षिक प्रतिवेदन, दिनांक 1 जुलाई, 1995 से दिनांक 30 जून, 1996 तक; एवं
(ख) रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर का दिनांक 30 जून, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1995 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, भिण्ड जिले में दस्युओं द्वारा अपहरण व डकैती किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री अरुण वोरा, सदस्य, दुर्ग जिले में तांदुला बांध व जलाशयों से कृषकों को सिंचाई हेतु पानी न दिये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (जल संसाधन) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) डॉ. गौरीशंकर शेजवार, सदस्य, गैस राहत विभाग के अधीन संचालित चिकित्सा केन्द्रों से चिकित्सकों को हटाये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) सर्वश्री ईश्वरदास रोहाणी, रामेश्वर अखण्ड, अंचल सोनकर, सदस्य, जबलपुर एवं उज्जैन नगर में पेयजल संकट होने की ओर स्थानीय शासन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) श्री शैलेन्द्र प्रधान, सदस्य, भोपाल नगर में पेयजल संकट से उत्पन्न स्थिति की ओर स्थानीय शासन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) श्री बनवारीलाल अग्रवाल, सदस्य, बिलासपुर जिला मुख्यालय में युवकों को लालच देकर धर्मान्तरण कराये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

-2-

(7) डॉ. माधव प्रसाद शास्त्री, श्री पारसचंद जैन, श्री रामकिशन चौहान, सदस्य, उज्जैन जिले के तराना में प्रशिक्षणार्थी पुलिस उप अधीक्षक द्वारा एक व्यक्ति के साथ मार-पीट किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) सर्वश्री रघुनंदन शर्मा, गोपीकृष्ण नेमा, ईश्वरदास रोहाणी, सदस्य, राजगढ़ जिला मुख्यालय पर एक व्यक्ति की हत्या होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(9) सर्वश्री लक्ष्मणसिंह गौड़, कैलाश विजयवर्गीय, सदस्य, इंदौर नगर के बहुमंजिला भवनों में अग्निशमन की व्यवस्था न होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(10) श्री रजिन्दरपाल सिंह भाटिया, सदस्य, राजनांदगांव जिले के बाग नदी वन परिक्षेत्र अन्तर्गत वनों की अवैध कटाई होने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(11) सर्वश्री ओंकार प्रसाद तिवारी, ईश्वरदास रोहाणी, मोती कश्यप, सदस्य, जबलपुर जिले के भूकम्प पीड़ितों को घोषित सहायता राशि न दिये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (राजस्व) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(12) डॉ. राजेन्द्र प्रकाश सिंह, सदस्य, दतिया जिले के ग्राम बेरछा में वन भूमि के पट्टे देने में अनियमितता किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(13) डॉ. सियाराम साहू, डॉ. रमन सिंह, सदस्य, राजनांदगांव जिले में दो व्यक्तियों की हत्या होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(14) सर्वश्री ईश्वरदास रोहाणी, बच्चन नायक, गोविन्द मिश्रा, सदस्य, मुरैना जिले के ग्राम ओछापुरा में दूषित पेयजल पीने एवं इलाज के अभाव में अनेक मौतें होने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(15) श्री छतराम देवांगन, सदस्य, बिलासपुर जिले में हसदेव बांगों नहर से कृषकों को सिंचाई हेतु पानी न मिलने की ओर उप मुख्यमंत्री (जलसंसाधन) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(16) श्री कमल पटेल, सदस्य, होशंगाबाद जिले के ग्राम चौतलाय की सेवा सहकारी समिति द्वारा किसानों को खाद बीज न दिये जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(17) सर्वश्री सुकीर्ति जैन, मुनिराम साहू, रामपाल सिंह, सदस्य, जबलपुर जिले के रीठी विकास खण्ड में पदस्थ जल संसाधन विभाग के अमले द्वारा अनियमितता किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (जल संसाधन) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(18) सर्वश्री लक्ष्मणसिंह गौड़, सुरेन्द्र वर्मा, कैलाश विजयवर्गीय, सदस्य, देवास जिले के ग्राम आमलाताज में दो गुटों के बीच झगड़ा होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(19) सर्वश्री कैलाश विजयवर्गीय, लक्ष्मणसिंह गौड़, सदस्य, इंदौर में एक पार्षद की हत्या के आरोपियों पर कार्यवाही न होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(20) श्री खेमसिंह बारमते, डॉ. देवचरण सिंह मधुकर, सदस्य, बिलासपुर जिले के मुंगेली, पड़रिया एवं मस्तूरी विकास खण्ड के ग्रामों में सूखे से उत्पन्न स्थिति की ओर उप मुख्यमंत्री (राजस्व) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(21) श्री दिलीप भटेरे, सदस्य, बालाघाट जिले के ग्राम आबा निवासी एक युवती की हत्या होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(22) श्री मोती कश्यप, सदस्य, जिला पंचायत जबलपुर द्वारा आंगनवाड़ी पर्यवेक्षकों के चयन में अनियमितता होने की ओर महिला एवं बाल विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(23) श्री लोकेन्द्र सिंह, सदस्य, पन्ना जिले में अवैधानिक रूप से खनिज पट्टा दिये जाने की ओर राज्यमंत्री खनिज साधन का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(24) श्री विक्रमसिंह उसेण्डी, सदस्य, बस्तर जिले के सामान्य वन मन्डल कोंडागांव के वन मण्डलाधिकारी द्वारा भ्रष्टाचार किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(25) श्री बाबूलाल गौर, सदस्य, रायसेन जिले के मण्डीदीप स्थित पोरवाल फैक्ट्री बंद होने की ओर श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(26) सर्वश्री कैलाश विजयवर्गीय, प्रेमप्रकाश पाण्डेय, लक्ष्मणसिंह गौड़, सदस्य, रायपुर-भिलाई-दुर्ग राष्ट्रीय राज मार्ग पर सड़क दुर्घटना में कई व्यक्तियों की मृत्यु होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(27) श्री बनवारीलाल अग्रवाल, सदस्य, राजनांदगांव जिले के ग्राम पाण्डेटोला की एक छात्रा के साथ पुलिस कर्मियों द्वारा बलात्कार किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(28) श्री रामविचार नेताम, सदस्य, सरगुजा जिले में अज्ञात बीमारी से अनेकों पशुओं की मौत होने की ओर पशुधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(29) श्री शिवप्रताप सिंह (सूरजपुर), सदस्य, सरगुजा जिले के ग्राम पंचायत चेरवापारा अन्तर्गत गैज परियोजना का कार्य घटिया स्तर का होने की ओर उप मुख्यमंत्री (जल संसाधन) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(30) श्री नोवेलकुमार वर्मा, सदस्य, बिलासपुर जिले में फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर सेवा प्राप्त की जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(31) श्री बृजेन्द्र पाठक, सदस्य, सतना जिले के मझगवां विकास खण्ड अन्तर्गत शिक्षा कर्मियों की भर्ती में अनियमितता होने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(32) सर्वश्री पर्वतलाल अहिरवार, अखण्डप्रताप सिंह, सदस्य, टीकमगढ़ जिले में कृषकों को रासायनिक खाद न मिलने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(33) श्री रामकिशन चौहान, सदस्य, रायसेन जिले के भोजपुर क्षेत्र अन्तर्गत वन भूमि पर काबिज आदिवासियों को वन कर्मियों द्वारा बेदखल किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(34) डॉ. ढालसिंह बिसेन, सदस्य, सिवनी जिले के दक्षिण वन मण्डल के रूखड़ रेंज के वन कर्मियों की प्रताड़ना से एक व्यक्ति की मौत होने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(35) श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा, सदस्य, रायसेन जिले के भूमि विकास बैंक के मैनेजर द्वारा अनियमितता की जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(36) सर्वश्री अखण्ड प्रताप सिंह, रामदयाल अहिरवार, सदस्य, टीकमगढ़ जिले में राजीव गांधी शिक्षा मिशन के तहत की गई भर्तियों में अनियमितता होने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(37) श्री बृजमोहन अग्रवाल, श्रीमती करुणा शुक्ला, श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, सदस्य, रायपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सकों की कमी से उत्पन्न स्थिति की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(38) सर्वश्री ईश्वरदास रोहाणी, प्रभात कुमार पाण्डेय, अंचल सोनकर, सदस्य, मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल द्वारा सिंगल फेज़ एनर्जी मीटर की खरीदी में अनियमितता किये जाने की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(39) चौधरी राकेश सिंह, सर्वश्री कैलाश कुण्डल, घनश्याम पाटीदार, सदस्य, देवास एवं मन्दसौर में डोडा चूरे का अवैध व्यापार होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

श्री अम्बिका प्रसाद शुक्ला, सभापति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का एक सौ चौबीसवां से एक सौ चौंतीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

5. प्रतिवेदनों के प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि के प्रस्ताव .

(1) श्री रामकिशोर शुक्ल, सभापति, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

"मध्यप्रदेश भूमि प्रबंधन विधेयक, 1997 (क्रमांक 30 सन् 1997) पर विचार हेतु निर्मित प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अन्तिम दिवस तक की वृद्धि की जाय".

(2) श्री घनश्याम पाटीदार, सभापति, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

"विशेषाधिकार समिति के समक्ष विचाराधीन विशेषाधिकार भंग की सूचनाओं पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अन्तिम दिवस तक की वृद्धि की जाय".

(3) श्री घनश्याम पाटीदार, सभापति, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

"शासकीय आवासों के आवंटन एवं उपयोग के मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित करने विषयक समिति के प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अन्तिम दिवस तक की वृद्धि की जाय".

निर्धारित समय

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

30 मि. (1) श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) संशोधन विधेयक, 1997 (क्रमांक 40 सन् 1997) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

1 घन्टा 30 मि. (2) श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, विधि और विधायी कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 1997 (क्रमांक 41 सन् 1997) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

1 घन्टा (3) श्री प्यारेलाल कंवर, उप मुख्यमंत्री (राजस्व), प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1997 (क्रमांक 42 सन् 1997) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

7. प्रतिवेदनों पर चर्चा

1 घन्टा 30 मि. मध्यप्रदेश लोक आयुक्त और उपलोक आयुक्त का पन्द्रहवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1996-97, लोक आयुक्त संगठन का पन्द्रहवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1996-97, व्याख्यात्मक ज्ञापन तथा मध्यप्रदेश लोक आयुक्त एवं उपलोक आयुक्त के पन्द्रहवें वार्षिक प्रतिवेदन के अंग्रेजी अंश के हिन्दी रुपान्तर - पर चर्चा.

8 अशासकीय संकल्प

(1) श्री नेमीचन्द जैन, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

25 मि. "सदन का मत है कि प्रदेश के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर एक वृद्ध आश्रम की स्थापना की जाय".

(2) श्री कमल पटेल, श्रीमती सुधा जैन,श्री सुनील जैन, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

25 मि. "यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि पशु मांस निर्यात पर प्रतिबंध लगाया जाय".

(3) श्री शैलेन्द्र प्रधान, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

40 मि. "सदन का मत है कि जिन निर्मित कॉलोनियों के आवासधारियों से सम्पत्ति कर की राशि वसूल की जाती है उन कॉलोनियों का विकास नगर निगम/नगर पालिका आवश्यक रूप से करे, चाहे वे कॉलोनियां नगर निगम को हस्तांतरित हुई हों या नहीं हुई हों, वैध हों अथवा अवैध, राज्य शासन इस हेतु आवश्यक कानूनी प्रावधान भी संबंधित कानून में करे".

(4) श्री सोबरन सिंह मावई, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

40 मि. "सदन का मत है कि सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना एवं विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना मद से स्वीकृत कार्यों में क्रियान्वयन एजेंसी सांसद व विधायकों के परामर्श से नियुक्त करने तथा पंचायतों द्वारा तीन लाख तक के निर्माण कार्य किये जाने हेतु मार्गदर्शिका में संशोधन किया जाय".

(5) श्री मनीष कुंजाम, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

20 मि. "यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता कि राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एन. एम. डी. सी.) का मुख्यालय हैदराबाद से हटाकर जगदलपुर (मध्यप्रदेश) में लाया जाय".

भोपाल :
दिनांक : 20 नवम्बर, 1997

के.पी.तिवारी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा